(प्रपत्र-1)

(परियोजना-17) सहायता अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र		
1	धार्मिक संस्थान/स्मारक का पूरा नाम व पता:	
	धार्मिक संस्थान/स्मारक	
	गांव	
	ग्राम पंचायत	
	डाकघर	
	तहसील उपमण्डल	
	जिला	
	पिन कोड	
2	क्या धार्मिक संस्थान/स्मारक सार्वजनिक सार्वजनिक सम्पत्ति है:	हां / नहीं
3	यदि (2) का उत्तर हां में है तो कौन संस्था अथवा ट्रस्ट चला रहा है :	
4	धार्मिक स्थल की आयु :	-----वर्ष या निर्माण वर्ष-----
5	धार्मिक स्थल के चारों कोणों के चार छायाचित्र संलग्न हैं या नहीं ?	
6	मरम्मत कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है	
7	पूर्वोक्त मरम्मत कार्य पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय की राशि	
8	धार्मिक स्थल का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विवरण	
9	राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है या नहीं ?	
	पर्चा जमाबंदी	
	अक्स ततीमा	
	यदि आबादी देह में है तो सार्वजनिक सम्पत्ति होने का प्रमाणपत्र	
10	अपेक्षित अनुदान की राशि जिसकी सरकार से आशा है तथा शेष राशि संस्था किस प्रकार वहन करेगी कृपया ब्यौरा दें :	
11	क्या इस कार्य के लिए किसी अन्य स्रोत से भी सहायता प्राप्त की गई है (यदि हां तो ब्यौरा दें):	
12	कोई अन्य सूचना, यदि कोई हो	
	स्थान..... तिथि..... अनुदानग्राही के हस्ताक्षर..... (नाम.....) आधार नम्बर ..... पदनाम..... पता ..... दूरभाष कोड सहित/मोबाईल नम्बर.....	
मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त मेरे प्रतिज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।		
उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) की सिफारिश:		

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश-शिमला.171009

प्रदेश के मन्दिरों/मठों तथा विहारों का सर्वेक्षण

1 मन्दिर/मठ/विहार/संस्थान का नामः
2 इसके भवन का निर्माण किसने तथा कब करवाया था :
3 मन्दिर की निर्माण शैलीः पहाड़ी/सतलुज/पैंटरूफ/शिखर/गुफा/गोम्पा/टावरनुमा/पैगोडा/गुम्बद
4 मन्दिर के प्रधान देवताः
5 मन्दिर की अनुमानित वार्षिक आयः
6 मन्दिर की कुल अनुमानित सम्पत्तिः
7 (1) चल सम्पत्तिः आभूषण लगभगः रूपये
नकदी कुल रूपये
8 (2) अचल मकान
भूमि बीघे/कनाल/हैक्टेयर
9 मन्दिर की व्यवस्था का ब्यौराः
10 (पुजारी/पारम्परिक समिति/अन्य समिति--कृपया विवरण दें)
11 मन्दिर में मूर्तियों की संख्या व विवरण दें :

12 मन्दिर के प्रांगण में आयोजित होने वाले उत्सव तथा मेलों का विवरण दें :

13 मन्दिर में कब-कब पूजा होती है ?

14 मन्दिर कहां स्थित है :
15 गांव..... डाकघर.....पिनकोड नम्बर..
16 पंचायत..... उपतहसील.....
17 तहसील..... उपमण्डल.....
18 निकटवर्ती सड़क..... सड़क से दूरी.....
19 निकटवर्ती विश्रामगृह.....
20 विश्रामगृह किस विभाग का हैः लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/वन विभाग/बिजली बोर्ड / पंचायत /कोई अन्य (कृपया नाम लिखें)
21 --विश्रामगृह में ठहरने के लिए किसे आवेदन करना है : (कृपया अधिकारी व कार्यालय का पता तथा टैलीफोन नम्बर लिखें)
22 --क्या मन्दिर में फोन लगा है यदि है तो कृपया कोड सहित फोन नम्बर लिखेंः
23 --यदि फोन नहीं लगा है तो किसी ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति का नाम तथा फोन नम्बर लिखें जिनसे कि इस मन्दिर के बारे में सम्पर्क किया जा सकेः
24 --इस स्थान के लिए जिला / उपमण्डल / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय से उपलब्ध बस सेवाओं के रूट का नाम व समय लिखें :

25 मन्दिर का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, लिखें :

प्रपत्र-3

प्रमाणपत्र

(यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक आबादी देह/फाटी में बना हुआ तो ही भरें । यदि मलकीयत में हो तो लागू नहीं है ।)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(देवता का नाम) का मन्दिर, मौजा.....परगना.....तहसील..... .....जिला..... के खसरा नम्बर..... में बना हुआ है जो कि आबादी देह का नम्बर है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

स्थानः.....
दिनांकः.....

हस्ताक्षर(पटवारी).....

(नाम).....

(मोहर सहित)

प्रपत्र-4

छायाचित्र सत्यापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे चिपकाए गए छायाचित्र .....
.....धार्मिक संस्थान /स्मारक की है जो कि खसरा नम्बर...
.....मौजा.....परगना.....तहसील.....
जिला में स्थित है ।

यहां धार्मिक संस्थान/स्मारक के फोटो चिपकाएं और पटवारी से मोहर सहित सत्यापित करवाएं

हस्ताक्षर(पटवारी).....
(नाम).....
मोहर

Form-5

Justification Certificate for Retaining/Breast wall

It is certified that Retaining wall(s)/breast wall (s) as shown in drawings is/are necessary for the protection of ----------temple situated at village ---------- Gram Panchayat ---------- Tehsil ---------- District ----------.

Place:

Date:

Assistant Engineer,
(Name)----------
Subdivision (With Seal)
Or
Regd. Architect / Valuar
With registeration number

(प्रपत्र-6)

दूसरी तथा तीसरी (अंतिम) किस्त जारी करने के लिए प्रमाण-पत्र

1 प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार .... धार्मिक संस्थान/स्मारक को रूपये.....का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंने प्रदत्त राशि से होने वाला कार्य पूर्ण कर लिया है ।

2 संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।

3 मैंने स्वयम् देखा है ।

4 मेरा निवेदन है कि उसी के शेष बचे कार्य के लिए, इन्हें अनुदान की दूसरी /तीसरी(अंतिम) किस्त, जो कि रूपये.....बनती है, को जारी कर दी जाए ।

दिनांक :
स्थान :

जिला भाषा अधिकारी

प्रपत्र-7

उपयोगिता प्रमाणपत्र

कृपया पत्र संख्याः ---------- दिनांक ----------
राशि---------- प्रमाणित किया जाता है कि ----------मात्र की स्वीकृति सहायतानुदान राशि से वर्ष के दौरान---------- के रूप में इस विभाग के पत्र संख्याः ---------- तथा हाशियों में दी गई तिथि के अधीन रुपये ---------- की राशि हिमाचल ---------- के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृति की गई थी तथा शेष ---------- रुपये की वर्ष के अन्त तक उपयोग न की गई राशि का सरकार को पत्र संख्याः ---------- के द्वारा अभ्यपर्ण किया गया है जो कि आगामी ---------- वर्ष ---------- में दी जाने वाली सहायता अनुदान में समायोजित की जायेगी ।

स्थान----------हस्ताक्षर----------

तिथि----------
संस्थाध्यक्ष----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था, पूर्ण की गई हैं/ पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षर विभागध्यक्ष

(विशेष घटक योजना के तहत स्मारकों व धार्मिक संस्थानों के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि ---------- (देवता/देवी का नाम) का मंदिर जो कि खसरा नम्बर-------- मौजा----------परगना --------- तहसील---------- जिला ----------में बना हुआ है, दलित समुदाय से सम्बधित है और उनका देवता है ।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर
ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी)
मोहर सहित

या

प्रमाणित किया जाता है कि ---------- (देवता / देवी का नाम) का मंदिर, जो कि गांव---------- ग्रामपंचायत--------- तहसील---------- जिला ----------में बना हुआ है, दलित समुदाय से सम्बधित है और उनका देवता है ।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर (पंचायत सचिव)
मोहर सहित

हस्ताक्षर (पंचायत प्रधान)
मोहर सहित

अभियंता/वास्तुकार को प्राक्कलन(**Estimate**) तैयार करने के लिए मार्ग-निर्देश

1 धार्मिक संस्थान/स्मारक की साइट पर धार्मिक संस्थान/स्मारक के भवन को माप कर उसकी*To Scale Existing Drawings* तैयार करें और इसमें निम्नलिखित दर्शाएं:
Ground & all other Floor Plans
Front & Side Elevations
One X-Section of temple & Retaining/Boundary wall
Site Plan

2 प्राक्कलन*(Estimate)* चार प्रतियों में होना चाहिए ।

3 ड्राईंग अमोनिया प्रिंटस पर या **CAD** में बनी होने पर कम से कम **A3** पेपर पर चार प्रतियों में होनी चाहिए ।

4 ड्राईंग में सभी माप सही और पढ़े जाने योग्य होने चाहिए ।

5 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) को रंग-रोगन करना मान्य नहीं है।

6 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) की मरम्मत उसी सामग्री से करें जिससे कि मूल भवन बना हुआ है । आधुनिक सामग्री का प्रयोग वर्जित हैं ।

7 प्राक्कलन में ये मदें*(Items)* ले सकते हैं:
1 Replacement of slates in roofing
2 Replacement of roof members like trusses, false ceiling etc;
3 Replacement of traditional wooden floors, ceiling etc;
उपरोक्त के साथ ये आईटमज भी ली जा सकती हैं ।
1 P/L Chakka stone flooring around the temple
2 Boundary wall, in conformity with revenue record.
3 Drainage sytem for rain water

8 प्राक्कलन तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकृत हैं :

1 सरकार के किसी भी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग/ उपक्रम/निगम/बोर्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) या वरिष्ठ प्रारूपकार (वास्तुकला) या उनके संवर्ग में उनसे वरिष्ठ अभियंता/वास्तुकार
2 पंचायतों में कार्यरत तकनीकी सहायक (सिविल)
3 सरकार के किसी अधिनियम/नियम के तहत पंजीकृत/ लाईसेंसधारक वास्तुकार/इंजिनियर
4 प्रतिधारण दीवार लगाने की दशा में की सरकार के किसी भी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग/ उपक्रम/निगम/बोर्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता (सिविल) या उनके संवर्ग में उनसे वरिष्ठ अभियंता इसके अतिरिक्त सरकार के किसी अधिनियम/ नियम के तहत पंजीकृत/ लाईसेंसधारक इंजिनियर का औचित्य प्रमाणपत्र आवश्यक होगा। ।

9 मरम्मत कार्य ड्राईंग पर लाल रंग से अंकित किया जाना चाहिए ।

परियोजना-17

(CHECK LIST)

स्मारकों/धार्मिक संस्थानों के प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व कृपया चैक करें:

1 सहायतानुदान प्रपत्र व सर्वेक्षण प्रपत्र सही ढंग से भरे गए हैं या नहीं इसमें देखें कि कोई मद खाली तो नहीं है ?

2 प्रपत्र को उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) से सिफारिशित/संस्तुत करवाएं।

3 आवेदक का पूरा नाम व पता दर्ज होना चाहिए ।

4 प्राक्कलन (**Estimate**) :

1 ***Abstract of Cost*** चार प्रतियां

2 ***Detail of Measurements*** चार प्रतियां

3 ***Drawings in Ammonia prints*** चार प्रतियां

5 ये राजस्व दस्तावेज साथ लगाएं:

1 पर्चा जमाबन्दी

2 अक्स ततीमा

6 यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक (मंदिर) आबादी में है तो पटवारी से निम्नलिखित प्रमापत्र लेकर संलग्न करें । :

> प्रमाणपत्र
>
> प्रमाणित किया जाता है कि .....(देवता का नाम) का मन्दिर, मौजा.....परगना.....तहसील.....जिला..... ..... के खसरा नम्बर..... में बना हुआ है जो कि आबादी देह का नम्बर है ।
>
> यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

7 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यदि संस्थान निजि सम्पत्ति होगा तो अनुदान नहीं दिया जा सकेगा । इसके अतरिक्त यदि संस्थान 100 वर्ष से कम आयु का होगा तथा हिमाचली संस्कृति को नहीं दर्शाता होगा तो भी अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

8 मन्दिर के चारों कोणों से चार छायाचित्र, जो कि रंगीन तथा पोस्टकार्ड साईज के हों, संलग्न किए जाएं और इन में से किसी एक मुख्य छायाचित्र के पीछे निम्नलिखित प्रमाणपत्र दर्ज करवाएं ।

"प्रमाणित किया जाता है कि यह फोटो .....मन्दिर का है जो कि खसरा नम्बर.....मौजा.....परगना..... .तहसील.....जिला..... में स्थित है ।

हस्ताक्षर (पटवारी).....
(मोहर सहित)

---

9 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मंदिर) का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, संलग्न करें ।

प्रकरण भिजवाने के लिए पता:

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग,
संस्कृति भवन, खण्ड-39, शि.वि.प्रा. परिसर,
कसुम्पटी, शिमला-171 009

हिमाचल प्रदेश सरकार
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
संख्याः एल.सी.डी.-एफ (8)-1/2015— दिनांकः शिमला 16 जून, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की पुरातन स्मारकों/धार्मिक संस्थानों के जीणोद्धार की विभागीय परियोजना-17 अनुबंध-''क'' को अधिसूचित करने हेतु अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या : भाषा-क(3)10/80 दिनांक : 11—10—1985 तथा संशोधन :एल.सी. डी.सी.(10)-10/2012 दिनांक : 20.08.2013 को निरस्त किया जाता है ।

आदेश द्वारा

(उपमा चौधरी)
अति. मुख्य सचिव (भाषा-संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः एल०सी०डी०-एफ(8)-1/2015— दिनांकः शिमला 16 जून, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः-

1. सचिव, विधान सभा, सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-4
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, हि०प्र० शिमला-02
4. सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
5. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा व परीक्षा), हि०प्र०, शिमला-3
8. अवर सचिव (वित्त विनियम) हि०प्र० सरकार, शिमला-2
9. निदेशक, भाषा, कला और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को उनके पत्र संख्याः भासनि-13(25)—मनु.—6—विविध—6869 दिनांक 13.05.2015 के संदर्भ में ।
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि०प्र० शिमला-5 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने हेतु ।
11. समस्त जिला भाषा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. संरक्षण नस्ति ।

विशेष सचिव (भाषा-संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुबंध ''क''

परियोजना-17

पुरातन स्मारकों/धार्मिक संस्थानों के जीर्णोद्धार की योजना

1 **योजना :**

भाषा एवं संस्कृति विभाग सहायतानुदान नियम 1981 के अन्तर्गत धार्मिक संस्थानों/स्मारकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

2 **उद्देश्य :**

(क) कोई भी धार्मिक संस्थान/स्मारक, जो हिमाचली संस्कृति को दर्शाता हो और उसका भवन लगभग 100 वर्ष पुराना हो, उसके पुरातन स्वरुप को बनाये रखने के लिए धनराशि सहायतानुदान के रुप में दी जायेगी ।

(ख) नव-निर्माण कार्य के लिए धनराशि नहीं दी जायेगी ।

(ग) धार्मिक संस्थानों अथवा स्मारकों में अवैध कब्जा रोकने के लिए उसके परिसर में चारदीवारी तथा इसे गिरने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार लगाना तथा आंगन में स्थानीय पत्थर के चक्कों से चक्कातलाई व जल निकासी प्रबंधन कार्यों को नव-निर्माण नहीं माना जायेगा ।

(घ) यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक, किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति है तो उसे कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा । अनुदान केवल सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए ही दिया जायेगा।

3 **प्रक्रिया :**

(क) सहायतानुदान उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) की सिफारिश पर दिया जायेगा ।

(ख) आवेदक को प्रथमतः निम्नलिखित दस्तावेज भाषा एवं संस्कृति निदेशालय को भिजवाने होंगे, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि यह धार्मिक संस्थान / स्मारक इस योजना में विहित उद्देशयों व प्रारंभिक शर्तों को पूर्ण करता है :

(1) धार्मिक संस्थान/स्मारक के चार छायाचित्र (पोस्ट कार्ड आकार व रंगीन) जो कि भवन के आगे, पीछे, दायें, बायें से लिए गए हों और जिनमें कि भवन, उपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नजर आता हो, भिजवाएंगे । ये छायाचित्र प्रपत्र -4 पर चिपका कर संमबंधित क्षेत्र के पटरवरी से सत्यापित होने चाहिएं ।

(2) जिस भूमि पर धार्मिक संस्थान /स्मारक का भवन है, उसकी नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा

(3) जिस भूमि पर धार्मिक संस्थान/ स्मारक का भवन है यदि वह आबादी देह में है तो प्रपत्र-3 जो कि सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बंधी है को सम्बंधित क्षेत्र के पटवारी से हस्ताक्षिरित करवाएंगे ।

(4) भवन में कौन से कार्य किए जाने का प्रस्ताव है का विवरण संलग्न करें ।

(5) प्रपत्र-2 भरा हुआ ।

(ग) विभाग अपने स्तर पर भी धार्मिक संस्थान/स्मारक के पुराने स्वरूप को बरकरार रखने का काम कर सकता है ।

(घ) इनके प्राप्त होने पर विभाग की पुरातत्त्व शाखा इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की जांच करेगी और यदि धार्मिक संस्स्थान/स्मारक की पात्रता होगी तो ही प्रकरण मंगवाया जाएगा अन्यथा आवेदक को इन्कार की सूचना दे दी जाएगी । भविष्य संदर्भ हेतु प्राप्त दस्तावेज, आवेदक को लौटाए नहीं जाऐंगे ।

(ङ.) पात्रता सुनिश्चित होने के उपरांत :

धार्मिक संस्थान / स्मारक के लिए सहायतानुदान हेतु आवेदक, सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 से 5 और यदि मंदिर विशेष घटक का हो तो प्रपत्र 8 और प्राक्कलन व ड्राइंग सहित प्रकरण की चार प्रतियां प्रस्तुत करेंगे । इसके उपरांत जिला भाषा अधिकारी, इस प्रकरण को सम्बंधित उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) से संस्तुत करवा कर निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग को भिजवाएंगे । मुरम्मत के प्राक्कलन एवं ड्राईंग, तैयार करने के लिए निम्नलिखित अभियंता/वास्तुकार द्वारा तैयार किए हुए ही स्वीकार्य होंगे :-

सरकार के किसी भी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग/उपक्रम /निगम/बोर्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) या
सरकार के किसी विभाग/उपक्रम के तहत पंजीकृत/ लाईसेंसधारक वास्तुकार/इंजिनियर

प्रतिधारण दीवार लगाने की दशा में सरकार के किसी भी विभाग/ अर्द्धसरकारी विभाग/उपक्रम/ निगम/ बोर्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता (सिविल) या उनके संवर्ग में उनसे वरिष्ठ अभियंता इसके अतिरिक्त सरकार के किसी विभाग/उपक्रम के तहत पंजीकृत/लाईसेंसधारक इंजिनियर, जो सरकार के सहायक अभियंता (सिविल)के समकक्ष हो, का औचित्य प्रमाणपत्र आवश्यक होगा ।

4 <u>निदेशालय स्तर पर निरीक्षण एवं राशि स्वीकृति :-</u>

(क) विभाग के अभियांत्रिकी प्रभाग द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया जाएगा ।

(ख) प्राक्कलन को पुरातत्त्व अभियन्ता अपने स्तर पर औचित्य देकर घटा भी सकेंगे ।

(ग) प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में, पिछले मास में निरीक्षित प्रकरणों की समीक्षा एक समिति करेगी जिसमें पुरातत्त्व अभियंता, पंजीकरण अधिकारी/संग्रहालयाध्यक्ष तथा सम्बंधित जिला के जिला भाषा अधिकारी सदस्य होंगे ।

(घ) समिति की समीक्षा के उपरांत ही प्रकरण स्वीकृत्यार्थ निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग को प्रस्तुत होंगे । अनुदान की राशि, समिति की समीक्षा के आधार पर, निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एवं बजट अनुसार स्वीकृत की जाएगी।

(ङ.) निदेशक भाषा एवं संस्कृति की स्वीकृति के पश्चात्, सम्बन्धित आवेदक को जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा । ऐसे प्रत्येक स्वीकृत मामले में अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति व प्रकरण की एक-एक प्रति सहित, स्वीकृति पत्र की प्रति सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी, पुरातत्त्व अभियंता तथा आवेदक को संदर्भित होगी ।

(च) अनुदान तीन किस्तों में दिया जाएगा :
(1) 30 प्रतिशत अनुदान की मांग स्वीकृति होने पर
(2) 50 प्रतिशत आधा कार्य पूर्ण होने पर
(3) शेष 20 प्रतिशत कार्य सम्पूर्ण होने पर

(छ) अनुदान की राशि, एक वर्ष के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा भाषा विभाग, ऐसी राशि को ब्याज सहित एक-मुश्त वापस लेने का हकदार होगा ।

(ज) निदेशक अपनी संतुष्टि पर इस अवधि को, विशेष कारणों को देखते हुए एक वर्ष तक और बढ़ाने में सक्षम होंगे ।

5 प्रमाण-पत्र :

(क) आधा कार्य पूर्ण होने पर तथा सम्पूर्ण कार्य हो जाने पर इस तथ्य के निर्धारित प्रमाण-पत्र, प्रपत्र-6 पर विभाग को भेजे जायेंगे, जिन्हें जिला भाषा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(ख) इन निर्धारित प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर दूसरी तथा तीसरी/अंतिम किस्त दे दी जायेगी ।

(ग) कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना होगा जो सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी के द्वारा सत्यापित होगा ।

6 निरीक्षण एवं नियम उल्लंघनाः

(क) जीर्णोद्धार के कार्य को समय-समय पर भाषा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को देखने की खुली छूट होगी । ये अधिकारी पुरातत्त्व की महत्ता को देखते हुए, चल रहे कार्य में परिवर्तन भी मन्दिर समितियों को बतायेंगे, जो मन्दिर समितियों को मान्य होगा।

(ख) सहायतानुदान प्राक्कलन की जिन कार्य मदों के लिए दिया गया है उसी पर खर्च किया जाना होगा । ऐसा न करने पर सारी राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकेगी ।